level. What all we can do is to get it channelised, give all the details about it, warn the public. All that is being done at the Central level. The actual implementation, catching hold of the person who is adulterating it, will have to be done by the State Governments. We are in touch with the State Governments. I do agree that maybe some more dialogue is needed. We will certainly do that . That is a normal thing.

MR. CHAIMAN: More question on this will intoxicate the House. Next question.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, I have not brought chloral hydrate with me.

*422. [*The questioner (Shri Promod Mahajan) was absent. For answer,* vide col. infra]

*423. [*The questioners (Shri V. Gopalsamy and Shri K. Gopalan) were absent. For answer,* vide col. infra].

*424. [*The questioner (Shri Talari Manohar) was absent. For answer,* vide col. infra.]

बाह्य उम्मीदवारों को हायर सेकन्डरी परीक्षाओं में बैठने की सुविधा

425. **कुमारी सईदा खातून :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी शिक्षा नीति में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले प्राइवेट छात्रों-लड़कों और लड़कियों-दोनों को हायर सेकन्डरी परीक्षा में बाह्य उम्मीदवारों के रूप में बैठने की सुविधा, नयी शिक्षा नीति में उपलब्ध होगी ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसे प्राईवेट छात्र और छात्राओं को जो अपने माता पिता के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं और जो विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सकते हैं, इन परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों को इन परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस आशय की अपेक्षाओं के संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई है कि उम्मीदवारों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में बैठने के लिए उन्हें अवश्य पूरा करना चाहिए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) क्योंकि सूचना का संबंध अनेक राज्यों से है, अत : यह एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कुमारी सईदा खातून : सभा पति महोदय, मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है उससे मुझे सन्तुष्टि नहीं है। मेरा प्रश्न यह था कि जैसा आउट आफ स्टेट कैंडीडेट्स बिजनैस के बतौर या ट्रांसफर या सैन्ट्रल सर्विसेज के बिनह पर जो कैंडीडेटस आते हैं अपने फादर-मदर के साथ उनके एडमिशन्ज जो स्कूलों में जैसे पहले पुरानी शिक्षा नीति में यह था मध्य प्रदेश में खास तौर से कि ऐसे कैंडीडेट्स जो प्राइवेट रूप से बैठना चाहते थे उनके लिए कोई दो डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए जाते थे भोपाल या इंदौर में आप प्राइवेट फार्म भरे अब चूंकि नई शिक्षा नीति 10 प्लस 2 की स्कीम में यह चीज नहीं है, आउट आफ् स्टेट कैंडीडेट्स वहीं जाकर परीक्षा दें उनको आगे सहूलियत के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो मैं यह मालूम करना चाहती हूं ?

[کماری سعیدہ خاتون: سبھاپتی
مہودے- منتری جی نے جو میرے
پرشن کا اتر دیا ہے اس سے مجھے
سنتشٹی نہیں ہے- میرا پرشن یہ
تھا کہ جیسا آؤٹ آف اسٹیٹ
کنڈیڈیٹس بزنس کے بطور یا ٹرانسفر
سینٹرل سروسز کے بنا پر جو
کنڈیڈیٹس آتے ہیں اپنے فادر-
مدر کے ساتھ انکے ایڈمیشنز جو
اسکولوں میں جیسے پہلے پرانی
شکشا نیتی میں تھا- مدھیہ

[ ]Transliteration in Arabic Script.

پردیش میں خاص طور سے کہ ایسے کنڈیڈیٹس جو پرائیویٹ روپ میں بیٹھنا چاہتے تھے انکے لئے کوئی دو ڈسٹرکٹس دے دئے جاتے تھے ہوسپٹل یا اندور میں آپ پرائیویٹ بھرین اب چونکہ نئی شکشا نیتی ۱۰ پلس ۲ کی اسکیم میں یہ چیز نہیں ہے- آؤٹ آف اسٹیٹس و ہیں جاکر پریکشا دے انکو آگے سہولیت کیلئے کوئی پراودھان نہیں تو میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں-

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं वही बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो पहले व्यवस्था थी वह बरकरार रहेगी। उसमें कोई तबदीली नई शिक्षा नीति के कारण नहीं लायी गई है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

कुमारी सईदा खातून : सैकंड सप्लीमेंट्री का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[کماری سعیدہ خاتون: سیکنڈ سیکنڈری کا تو پرشن ہی پیدا نہیں ہوتا-]

श्री पी०वी० नरसिंह राव : हां, प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

have given her a categorical reply.

कुमारी सईदा खातून : "ग" के उत्तर में कहा है कि सूचना एकत्रित की जाएगी तो सब राज्यों से सूचना एकत्र करने के लिए कितना समय लगेगा यह मैं जानना चाहती हूं ?

[کماری سعیدہ خاتون : کے اتر میں کہا ہے کہ سوچنا اکٹھا کی جائیگی تو سب راجیوں سے سوچنا اکٹھا کرنے کے لئے کتنا سمے لگیگا یہ میں جاننا چاہتی ہوں-]

श्री पी०वी० नरसिंह राव : देखिए जब इंटरस्टेट की बात आती है तो सब से सूचना मंगानी पड़ती है। उसकी आवश्यकता भी है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है वह उठेगा नहीं। अगर आपको कोई कठिनाई हो रही हो मध्य प्रदेश में या किसी राज्य में तो आप बताइये। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उसमें कोई तबदीली नहीं आई है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति जी, शिक्षा नीति में पहले विशेष करके लड़कियों को हर तरह की परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से एपीयर होने की गुजायश थी और अब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नई शिक्षा नीति में लड़कों के बनिस्बत लड़कियों के लिए कुछ न कुछ विशेष व्यवस्था हो और जो कि दैनिक स्कूल में नहीं जा करके वे परीक्षा में सम्मिलित हों ऐसी कोई विशेष व्यवस्था रखी गई है क्या, जिससे लड़कियों की शिक्षा में प्रचार-प्रसार हो।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : नई शिक्षा नीति का एक ज्ञान यह रहा है कि पहले जितनी सहूलियतें थीं उससे अधिक सहूलियतें वहां पहुंचाई जाएं यह नहीं कि उनको काट दिया जाए या कम कर दिया जाए। अब राज्य सरकारों से अलग-अलग बात करके हम यह तय करेंगे कि कहां-कहां सहूलियतें और देनी है और कहां-कहां उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आम तौर पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो सहूलियतें इससे पहले उपलब्ध थीं उनमें कोई कमी होने वाली नहीं है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : विशेष सहूलियत है क्या ...(**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यही मैं कह रहा हूं कि नई शिक्षा नीति में लिबरलाइजेशन का ट्रेंड है, आप देखेंगे कि सब्जैक्ट्स में हो या परीक्षा में बैठने के बारे में हो किसी भी मामले में पहले जितने बंधन थे उनमें ढील दी जा रही है, उनको और ज्यादा बांधा नहीं जा रहा है,

कसा नहीं जा रहा है । मैं किसी एक विषय में जवाब इस वक्त नहीं दे सकता क्योंकि जो आप विषय चाहेंगे उसके बारे में मैं फिर जानकारी दूंगा ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक ही उदाहरण दे कर बता दीजिए कि कौन सी सुविधा देने जा रहे हैं ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें पहले जो कोंबीनेशन विषयों का होता था वह ऐसा होता था कि अपनी मर्जी से आप कोई कोंबीनेशन नहीं ले सकते थे और पहले से कोंबीनेशन बना बनाया होता था । टेक इट और लोव इट की बात थी । लेकिन आज ऐसी बात नहीं है । आज जो विषय आप लेना चाहें जिसमें विद्यार्थी की दिलचस्पी हो उनको मिला कर वह ले सकता है ? यह जो छूट पहली बार दी गई है विद्यार्थी के दृष्टिकोण से यह तो बहुत बड़ी बात हो गई ।

Cadre review of non-teaching employees of Central Universities

*426. SHRI SAGAR RAYKA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the details of the terms of reference of the cadre review committee appointed by Government in respect of the non-teaching employees of the Central Universities; and

(b) which of the pay-scales have been covered and recommended for "one-time upward movement" and what action has been proposed to be taken to cover the remaining pay-scales upto Rs. 700-1600 for "one-time upward movement"?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) The University Grants Commission had appointed a Committee to examine the anomalies in the pay scales of non-teaching employees and the disparities in the pay scales amongst the Central Universities. One of the recommendations of the Committee was that each Central University should set up a Cadre Review Committee to continuously review the structure of various cadres including rationalisation of pay scales, designations and removal of disparities amongst the non-teaching and technical staff of Central Universities.

(b) All non-teaching and technical employees of the Central Universities who are on scales of pay upto Rs. 650-1200 are covered by the scope of the Cadre Review Committee. The one-time movement recommended by the Committee is applicable to all-non-teaching and technical employees who have not got any promotion during the last eight years; who are not on scales of pay higher than those approved for their posts; and have not been placed in a selection grade. This review is not applicable to staff above this scale of pay.

श्री सागर रायका : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस कैडर रिव्यू कमेटी के संदर्भ और शर्तें वे जरा बताएं ?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: The answer itself has very clearly stated...

MR. CHAIRMAN: He wants to know the terms of reference to this Committee.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: "To examine the anomalies in the pay scales of non-teaching employees and the disparities in the pay scales amongst the Central Universities". These are the terms of reference.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: He has referred to a carde review. That would perhaps primarily mean the structure of the employees, how many employees in each cadre, etc., whether certain types of posts belong to this carde or not, but why do they not implement the recommendations on the pay scales whatever be the cadre, corresponding to that, the pay scales can be implemented. How many should be in one cadre and what their functions should be, etc, can